न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बइजलास–श्री देवेन्द्र कुमार,आई.ए.एस.

रसद मामला संख्या–74 / 2026

GCMS No.- 2026/83

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
राजस्थान सरकार जरिये शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय नागौर		श्री बजरंग भाटी पुत्र नेमीचन्द भाटी प्रबन्धक मैसर्स कृष्ण कन्हैया टी स्टॉल मूण्डवा चौराहा, नागौर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से श्री शिवराम प्रवर्तन निरीक्षक
2. अप्रार्थी बावजूद तामिल अनुपस्थित रहा।

निर्णय दिनांक :–08.04.2026

राजस्थान सरकार जरिये श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद अधिकारी कार्यालय ने यह प्रार्थना–पत्र गैर सायल के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत पेश कर प्रकरण में जब्त सुदा 02 घरेलू गैस सलेण्डर को समपहरण के आदेश दिए जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण गैर सायल के विरूद्ध दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस वास्ते जबाब देही तलब किया गया। गैर सायल के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक पर्याप्त तामिल होने के बावजूद उनकी ओर से आज कोई उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती हैं।

प्रार्थी की प्रकरण में एक पक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने दौराने बहस यह निवेदन किया कि दिनांक 25.02.2026 को श्री देवाराम प्रवर्तन अधिकारी, श्री रामावतार पूनिया प्रवर्तन अधिकारी, श्री शिवराम चौधरी व श्री जितेन्द्र बंशीवाल प्रवर्तन निरीक्षकगण द्वारा कन्हैया टी स्टॉल की जॉच करने पर यह पाया कि गैर सायल द्वारा दुकान में चाय/कॉफी एवं खाना बनाने के लिए घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग किया जा रहा हैं। मौके पर 02 घरेलू सिलेण्डर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

पाये गये। गैर सायल से घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग एवं भण्डारण के दस्तावेज मांगे जाने पर उनके द्वारा किसी प्रकार के दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये हैं।

क्र.सं.	नाम कम्पनी	एस.आर.नम्बर	कुल वजन	रिक्त का वजन	शुद्ध गैस का वजन
1.	HPCL	440812	23.6 Kg	15.6 Kg	08 Kg
2.	HPCL	348687 T	27.3 Kg	16.3 Kg	11 Kg

इस प्रकार गैर सायल का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन पाये जाने पर मौके पर पाये गये 02 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त कर मौके पर ही श्री कमल पुत्र गणपतराम निवासी भाकरोद हाल मैसर्स नागौर गैस सर्विस नागौर गैस एजेन्सी को प्रकरण के निर्णय हाने ते सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द कर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिए गये हैं।

इस प्रकार अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3, 6 व 7 के खण्ड 1 का स्पष्ट उल्लघंन हैं, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में जब्तसुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डरों को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscation) के आदेश प्रदान करावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किये जाने के बावजूद उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ हैं। प्रस्तुत प्रकरण के साथ पेश की गई फर्द मौका एवं जब्ती के अवलोकन से इस जब्ती में गैर सायल बजरंग भाटी स्वयं के हस्ताक्षर है। जिससे यह प्रकट हैं कि जब्ती कार्यवाही गैर सायल बजरंग भाटी की उपस्थिति में की गई हैं एवं उनके द्वारा गैस कनेक्शन सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज कार्यवाही के समय पेश नहीं किये हैं एवं न ही न्यायालय में उपस्थित होकर पेश किये हैं, जिससे यह प्रतीत होता हैं कि गैर सायल द्वारा बिना गैस कनेक्शन के ही व्यावसायिक सिलेण्डर का उपयोग किया जा रहा हैं जो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000की धारा 3, 6 व 7 के खण्ड 1 का स्पष्ट उल्लघंन हैं तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं।

अतः प्रार्थी द्वारा पेश किया गया यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जब्त सुदा ~~एक~~ 02 घरेलू गैस सिलेण्डरों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के अन्तर्गत,

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

समपहरण (Confiscation) किया जाकर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी, नागौर को आदेश दिये जाते हैं कि जब्तसुदा गैस सिलेण्डर मय गैस का कीमतन निस्तारण किया जावें तथा इनसे प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करवाया जावें। यह राशि राजकीय घोषित की जाती हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, नागौर को पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर,
नागौर
कलक्टर नागौर